बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक :- 29/01/19

सं० सं०-17/ए 3-01/2019-39(171) /स्वा०, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर तथा बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा भर्ती, नियुक्ति एवं प्रोन्नति नियमावली 2008 एवं (संशोधन) नियमावली 2013 के आलोक में ट्यूटर के टेन्योर पदों पर स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बाह्य चिकित्सकों को निम्नांकित शर्तों के अधीन राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के **फिजियोलॉजी विभाग** में निम्न प्रकार से नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है:-

फिजियोलॉजी				
बि०स्वा०से०				
क्र० स०	**नाम**	**आवेदन संख्या**	**आरक्षण कोटि**	**पदस्थापन**
1	अनन्त कुमार	CR201800362	अनारक्षित (पि०व०)	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
2	आलोक कुमार	CR201800110	अनारक्षित (अ०पि०व०)	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
3	कुमारी मोनिका भारती	CR201800653	अनारक्षित (पि०व०म०)	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
4	डॉ० किसलय कुमार	CR201800079	अनारक्षित	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा
पी०जी०एस०				
1	डॉ० अंजनी कुमार	CR201800151	पिछड़ा वर्ग	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।
2	पूनम रानी	CR201800508	अनारक्षित	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
3	महेन्द्र कुमार	CR201800942	अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया
4	शम्भु कुमार शरण	CR201800495	अनारक्षित (पि०व०)	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी
5	पवन कुमार झा	CR201800801	अनारक्षित	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
6	ज्योति कुमारी	CR201800763	अनारक्षित (अ०जा०)	वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी
7	अनु कुमारी बैठा	CR201800286	अनारक्षित (अ०जा०)	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
पी०जी०ओ०				
1	प्रवृति मिश्रा	CR201800101	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।
2	रविश कुमार सिन्हा	CR201800468	अनारक्षित	नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना
3	रिचा सिंह	CR201800592	अनारक्षित	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना

4	अयान गोस्वामी	CR201800295	अनारक्षित	जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।
5	प्रियंका	CR201800328	अनारक्षित	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।
6	तनवीर मो0 इकबाल	CR201800248	अनारक्षित	अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया
7	भरत कुमार	CR201800900	अनारक्षित (पि0व0)	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा
8	डॉ0 सुनील कुमार	CR201800624	अनुसूचित जाति	जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा

2. यह नियुक्ति मात्र तीन वर्षों के लिए होगी।

3. संबंधित स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सकों को जो वेतन एवं भत्ता पूर्व से प्राप्त हो रहा है वही वेतन एवं अनुमान्य भत्ता टेन्योर पदों पर पदस्थापन अवधि में देय होगा। वेतन से की जा रही सामान्य कटौतियाँ नियमानुसार की जायेगी।

4. बाह्य चिकित्सकों को वेतनमान लेवेल–9 अन्य अनुमान्य भत्ते सहित देय होगा।

5. टेन्योर अवधि की समाप्ति के उपरांत वैसे पदधारक जो स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सक हैं, वे अपने पैतृक संवर्ग में स्वतः वापस हो जायेंगे। बाह्य चिकित्सक टेन्योर समाप्ति के पश्चात् उस टेन्योर पद अथवा किसी अन्य पद पर लगातार बने रहने का दावा नहीं कर सकेंगे।

6. सभी नवनियुक्त ट्यूटर को निदेशित किया जाता है कि वे अपने नव पदस्थापित स्थान पर **अधिकतम् 15 दिनों के अंदर** अनिवार्य रूप से योगदान कर कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। योगदान के समय वांछित प्रमाण–पत्र यथा क्रीमीलेयर प्रमाण–पत्र/मूल शपथ–पत्र/मूल विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र अपने संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य को समर्पित करेंगे अन्यथा उनका योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. योगदान के समय संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य नवनियुक्त ट्यूटर द्वारा समर्पित वांछित प्रमाण–पत्र यथा क्रिमिलेयर प्रमाण–पत्र/शपथ–पत्र/अनापत्ति प्रमाण–पत्र को जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे। आरक्षण का लाभ केवल बिहार के मूल निवासी को ही देय होगा। विसंगति पाये जाने पर पूर्ण विवरण सहित विभाग को सूचित करेंगे।

8. नये ट्यूटर के पदस्थापन के उपरान्त योगदान के पश्चात् संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य सबसे पुराने पदस्थापित ट्यूटर को आवश्यकतानुसार कार्य मुक्त कर देंगे। यदि किसी पुराने ट्यूटर के मामले में न्यायिक वाद चल रहा हो तो उस स्थिति में प्राचार्य द्वारा विभाग से परामर्श प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कौशल किशोर)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– 17/ए 3–01/2019–39(17) पटना, दिनांक :–15/1/19

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को सूचनार्थ एवं राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (ले0एवंह0), बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, पटना प्रमंडल/मगध प्रमंडल/तिरहुत प्रमंडल/दरभंगा प्रमंडल/भागलपुर प्रमंडल/कोशी प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, पटना/दरभंगा/गया/मुजफ्फरपुर/नालंदा/भागलपुर/पश्चिमी चंपारण/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी/चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्राचार्य/अधीक्षक, सभी संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, (कौशल किशोर)/प्रशाखा पदाधिकारी–प्रशाखा 01,02,08 एवं 09, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :–आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/1/15

सरकार के संयुक्त सचिव।